दिनांक: 13.3.1995

स्मरणपत्र 11/4/95

श्री रंगनाथ मिश्र साहब,
अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(भारत सरकार) नई दिल्ली

विषय:- नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों के साथ बंधुआ मजदूरी का व्यवहार

महोदय,

राजस्थान विश्वविद्यालय के लोकप्रशासन विभाग के अधीन सम्पादित
हुई मेरी पीएच.डी. शोध कार्य " राजस्थान में नर्सिंग सेवाओं का कार्मिक
प्रशासन " के दौरान नर्सिंग ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों के साथ हो रहे शोषण
का पता चला हैं ।

राज्य में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने वाले इन प्रशिक्षणार्थियों
को एक स्थायी स्टाफ की तरह आठ घन्टें की दिन रात की ड्यूटी करवाई
करवाई जाती है । साथ ही इन्हें प्रशिक्षण के लिए कक्षाओं में रोजाना प्राय:
4 घन्टे पढना पड़ता हैं । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कार्य के
लिए इन्हें 80 से 135 रूपया प्रतिमाह मजदूरी दी जाती है । स्वतंत्र भारत
में सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा शोषण और कहीं नहीं हैं । एम. फिल.
तथा पीएच.डी. शोध कार्यों की रिपोर्ट मैंने राज्य सरकार ~~तथा~~ तथा भारत
सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्रस्तुत की थी ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह व्यवहार मानव अधिकारों
का उल्लघंन नहीं करता हैं ? यदि हां तो क्या राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग
इस पर कार्यवाही करेगा ? आशा करता हूँ कि आप इस दिशा में शीघ्र
कार्यवाही करके सदियों से पिछड़े हुए नर्सिंग व्यवसाय को नया जीवन प्रदान
करेंगें ।

सधन्यवाद

प्रार्थी
सुरेन्द्र कुमार (हस्ताक्षर)

डा० सुरेन्द्र कुमार कटारिया
65/11 हीरापथ मानसरोवर हाउसिंग
बोर्ड कालोनी, जयपुर-302020

Scanned with OKEN Scanner